Original Article
ISSN(Online): 2584-0983
https://shikshasamvad.com/

Shiksha Samvad
International Open Access, Peer Reviewed & Refereed Journal
© Shiksha Samvad|Volume-04| Issue-01| September- 2026
DOI: - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.27

बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियों की पहचान और उसके निवारण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

वंदना शर्मा[1], प्रो. विभा[2]
राजकीय महाविद्यालय टूंडला संबंध, डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा" उत्तर प्रदेश
राजकीय महाविद्यालय टूंडला संबंध, डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा" उत्तर प्रदेश
Email: vandanasharma20220@gmail.com

सारांश

बाल अपराध आधुनिक समाज की एक जटिल सामाजिक समस्या है, जिसका संबंध केवल बालक के व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं बल्कि परिवार, विद्यालय, सहकर्मी समूह, आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक संरचना, नगरीकरण, प्रवासन, मीडिया तथा डिजिटल वातावरण जैसे अनेक सामाजिक कारकों से है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था सामाजिकरण की महत्वपूर्ण अवस्थाएँ हैं। इस अवधि में बालक अपने व्यवहार, मूल्यों और सामाजिक भूमिकाओं का निर्माण परिवार तथा व्यापक सामाजिक वातावरण से करता है। जब सामाजिक नियंत्रण, पारिवारिक संरक्षण, शैक्षिक अवसर और सकारात्मक सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं, तब विचलित व्यवहार की संभावना बढ़ सकती है। वर्तमान समय में बाल अपराध की प्रकृति भी बदल रही है। पारंपरिक चोरी, मारपीट और संपत्ति संबंधी अपराधों के साथ-साथ समूह-आधारित अपराध, मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियाँ, डिजिटल माध्यमों से जुड़े विचलित व्यवहार तथा सामाजिक-मीडिया से प्रभावित व्यवहार भी चिंता का विषय बने हैं। इस शोध-पत्र का उद्देश्य बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियों की पहचान करना, उनके समाजशास्त्रीय कारणों का विश्लेषण करना तथा उनके निवारण के लिए परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य और न्याय व्यवस्था की भूमिका को स्पष्ट करना है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें पूर्व प्रकाशित शोध, समाजशास्त्रीय साहित्य, विधिक प्रावधान तथा बाल न्याय व्यवस्था से संबंधित आधिकारिक सामग्री का विश्लेषण किया गया है। साहित्य से स्पष्ट होता है कि बाल अपराध को केवल दंड की समस्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है; इसके लिए सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण को केंद्र में रखना आवश्यक है। भारतीय किशोर न्याय व्यवस्था भी पुनर्वास तथा सामाजिक पुनःएकीकरण पर बल देती है।

प्रमुख शब्द: *बाल अपराध, किशोर अपराध, सामाजिकरण, परिवार, सहकर्मी समूह, विद्यालय, डिजिटल वातावरण, सामाजिक नियंत्रण, पुनर्वास, किशोर न्याय।*

1. प्रस्तावना

बालक किसी भी समाज की भावी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए बालकों का समुचित सामाजिकरण केवल परिवार का निजी दायित्व नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। बाल्यावस्था में प्राप्त अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। यदि बालक को प्रेम, सुरक्षा, अनुशासन, शिक्षा और सकारात्मक सामाजिक वातावरण प्राप्त होता है, तो उसके समाज के स्वीकृत मूल्यों एवं मानदंडों को आत्मसात करने की संभावना बढ़ती है। इसके विपरीत पारिवारिक विघटन, उपेक्षा, हिंसा,

गरीबी, विद्यालय से दूरी, नकारात्मक संगति तथा सामाजिक असुरक्षा जैसी परिस्थितियाँ बालक के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

बाल अपराध को सामान्यतः ऐसे आचरण के रूप में समझा जाता है जिसमें विधि या सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति बालक या किशोर हो। भारतीय विधिक संदर्भ में अठारह वर्ष से कम आयु का ऐसा व्यक्ति, जिस पर अपराध करने का आरोप हो अथवा जो अपराध का दोषी पाया गया हो, "कानून से संघर्षरत बालक" की श्रेणी में आता है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का मूल उद्देश्य केवल अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि बालक की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण सुनिश्चित करना है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से बाल अपराध को व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के संदर्भ में समझना अधिक उपयोगी है। देओल ने भारत में किशोर अपराध के अध्ययन में यह संकेत किया कि किशोर अपराध को सामाजिक परिस्थितियों और व्यापक सामाजिक परिवर्तन से अलग करके नहीं समझा जा सकता (देओल, 1990)।

समकालीन समाज में बाल अपराध की समस्या का स्वरूप भी बहुआयामी हो रहा है। परिवार की संरचना में परिवर्तन, तीव्र नगरीकरण, प्रवासन, आर्थिक असमानता, विद्यालय से दूरी, बेरोजगारी, सहकर्मी समूहों का प्रभाव और डिजिटल माध्यमों का व्यापक विस्तार बालकों के सामाजिक अनुभवों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान अध्ययन का केंद्र केवल "बाल अपराध क्यों होता है?" नहीं, बल्कि यह भी है कि बाल अपराध की नई प्रवृत्तियाँ किन सामाजिक परिस्थितियों में विकसित होती हैं और उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है।

2. साहित्य समीक्षा

बाल अपराध पर भारतीय संदर्भ में लंबे समय से अध्ययन होते रहे हैं। प्रारंभिक अध्ययनों में अपराध को परिवार, गरीबी, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक वातावरण के संदर्भ में देखा गया, जबकि समकालीन अध्ययनों में डिजिटल वातावरण, सहकर्मी प्रभाव, शैक्षिक अलगाव और बहुस्तरीय सामाजिक जोखिमों को भी शामिल किया जा रहा है।

देओल ने भारत में किशोर अपराध का अध्ययन करते हुए बाल अपराध को भारतीय सामाजिक संदर्भ से जोड़कर देखा। उनके अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि किशोर अपराध की व्याख्या केवल व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी के आधार पर नहीं की जा सकती; सामाजिक परिस्थितियाँ और संस्थागत व्यवस्थाएँ भी महत्वपूर्ण हैं (देओल, 1990)।

काकर ने भारत में किशोर न्याय और किशोर अपराध की ऐतिहासिक तथा विधिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए बताया कि भारत में किशोर न्याय व्यवस्था समय के साथ देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में विकसित हुई है (काकर, 2015)। Wiley Online Library

रथिनाबालन और नारायण के अध्ययन में पारिवारिक कारकों और बाल अपराध के बीच संबंध का परीक्षण किया गया। उनके अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि बाल अपराध बहुस्तरीय जोखिमों से प्रभावित होता है और परिवार इसका महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ है (रथिनाबालन और नारायण, 2017)।

किशोर अपराध के निर्धारकों पर किए गए आर्थिक अध्ययन में 2009 से 2016 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों का उपयोग किया गया। अध्ययन में प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद तथा वयस्क बेरोजगारी जैसे व्यापक आर्थिक कारकों और किशोर अपराध दर के बीच सांख्यिकीय संबंधों का परीक्षण किया गया (अहसान और सहयोगी, 2021)।

अभिषेक और बालामुरुगन ने सामाजिक कारकों पर केंद्रित साहित्य समीक्षा में परिवार, माता-पिता की निगरानी, सहकर्मी समूह, पड़ोस और आर्थिक परिस्थितियों को प्रमुख जोखिम कारकों के रूप में रेखांकित किया। उनके अनुसार परिवार बालक के प्राथमिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाता है तथा नकारात्मक पारिवारिक वातावरण अपराधी व्यवहार के जोखिम से संबंधित हो सकता है (अभिषेक और बालामुरुगन, 2024)।

अभिषेक और बालामुरुगन के एक अन्य अध्ययन में 2017 से 2021 के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से संबंधित द्वितीयक सामग्री का विश्लेषण करते हुए बाल अपराध के सामाजिक-आर्थिक प्रतिरूपों का अध्ययन किया गया। अध्ययन में गरीबी, अपर्याप्त अभिभावकीय मार्गदर्शन, शिक्षा की सीमित पहुँच और सहकर्मी प्रभाव जैसे कारकों पर ध्यान दिया गया (अभिषेक और बालामुरुगन, 2024)।

हालिया भारतीय अध्ययन में अभिषेक, बालामुरुगन, जनार्दनन और वलन ने तमिलनाडु के सरकारी निरीक्षण गृहों में 178 बाल अपराधियों के अध्ययन के आधार पर पाँच अंतर्निहित आयामों की पहचान की—भावनात्मक असंतोष और विद्रोह, आपराधिक प्रवृत्ति एवं सहकर्मी प्रभाव, अनुकरण एवं पारिवारिक विघटन, मीडिया प्रभाव एवं भौतिक आकांक्षा तथा शैक्षिक अलगाव एवं प्रवासन (अभिषेक और सहयोगी, 2025)।

साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि बाल अपराध का कोई एक कारण नहीं है। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कारक एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यही इस अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शोध-आधार प्रदान करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. बाल अपराध की अवधारणा और उसके समाजशास्त्रीय स्वरूप को स्पष्ट करना।
2. बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियों की पहचान करना।
3. बाल अपराध के पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण करना।
4. बाल अपराध के संबंध में उपलब्ध पूर्ववर्ती साहित्य की समीक्षा करना।
5. समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर बाल अपराध को समझना।
6. बाल अपराध के निवारण एवं पुनर्वास के लिए प्रभावी सामाजिक उपायों का सुझाव देना।
7. भारतीय किशोर न्याय व्यवस्था की पुनर्वासात्मक भूमिका को समझना।

4. शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के स्थान पर द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए शोध-पत्रों, शोध-प्रबंधों, समाजशास्त्रीय एवं अपराधशास्त्रीय साहित्य, विधिक दस्तावेजों तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक सामग्री का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन किसी एक शहर या राज्य के अपराध आंकड़ों को पूरे भारत का प्रतिनिधि मानने के बजाय उपलब्ध शोधों में उभरने वाले सामाजिक प्रतिरूपों का विश्लेषण करता है। इसलिए इसके निष्कर्षों को व्याख्यात्मक सामाजिक निष्कर्षों के रूप में देखा जाना चाहिए।

5. बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ

5.1 पारंपरिक अपराधों से बहुआयामी अपराधों की ओर

बाल अपराध को केवल चोरी या मारपीट तक सीमित करके देखना वर्तमान सामाजिक परिस्थिति को पूरी तरह नहीं समझाता। बालकों के अपराधी व्यवहार में संपत्ति संबंधी अपराध, हिंसक व्यवहार, मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियाँ तथा समूह-आधारित अपराधों के साथ-साथ नए सामाजिक और डिजिटल संदर्भ भी दिखाई देते हैं। इसलिए बाल अपराध का स्वरूप बहुआयामी हो रहा है।

5.2 सहकर्मी समूह का बढ़ता सामाजिक प्रभाव

किशोरावस्था में मित्र समूह व्यक्ति की पहचान और सामाजिक स्वीकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि सहकर्मी समूह विचलित व्यवहार को स्वीकार्य या प्रतिष्ठित मानता है, तो बालक पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। हालिया भारतीय शोध में भी सहकर्मी प्रभाव को बाल अपराध के प्रमुख अंतर्निहित आयामों में शामिल किया गया है (अभिषेक और सहयोगी, 2025)।

5.3 डिजिटल वातावरण और मीडिया प्रभाव

डिजिटल माध्यमों ने बालकों के सामाजिक अनुभवों को व्यापक बनाया है। इंटरनेट और सामाजिक-मीडिया के माध्यम से बालक विविध प्रकार की सामग्री, व्यवहार और सामाजिक समूहों से संपर्क में आते हैं। मीडिया स्वयं अपराध का प्रत्यक्ष कारण है, ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा; लेकिन कुछ परिस्थितियों में अनुकरण, भौतिक आकांक्षाओं, आक्रामक व्यवहार और असामाजिक समूहों से संपर्क जैसी प्रक्रियाओं में डिजिटल वातावरण भूमिका निभा सकता है। हालिया अध्ययन में मीडिया प्रभाव तथा भौतिक आकांक्षा को बाल अपराध के एक अंतर्निहित आयाम के रूप में पहचाना गया है (अभिषेक और सहयोगी, 2025)।

5.4 परिवार के स्वरूप और पारिवारिक नियंत्रण में परिवर्तन

परिवार बालक के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। परिवार में लगातार संघर्ष, उपेक्षा, हिंसा, माता-पिता की अपर्याप्त निगरानी या भावनात्मक दूरी बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। पारिवारिक परिस्थितियों और बाल अपराध के बीच संबंध को अनेक अध्ययनों ने रेखांकित किया है (रथिनाबालन और नारायण, 2017; अभिषेक और बालामुरुगन, 2024)।

5.5 शैक्षिक अलगाव

विद्यालय केवल शिक्षा देने वाली संस्था नहीं है; यह सामाजिकरण, अनुशासन, सहयोग, उत्तरदायित्व और सामाजिक मूल्यों के विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालय से लंबे समय तक अनुपस्थिति, पढ़ाई छोड़ना या शैक्षिक असफलता बालक को सकारात्मक संस्थागत वातावरण से दूर कर सकती है। हालिया अध्ययन में शैक्षिक अलगाव को बाल अपराध से जुड़े प्रमुख आयामों में शामिल किया गया है (अभिषेक और सहयोगी, 2025)।

5.6 प्रवासन और नगरीय असुरक्षा

प्रवासन के कारण बालकों को कई बार नए सामाजिक वातावरण, कमजोर सामुदायिक संबंध और शैक्षिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में प्रवासन के कारण बालक की शिक्षा, निगरानी और सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। हालिया अध्ययन में प्रवासन और शैक्षिक अलगाव को एक संयुक्त अंतर्निहित कारक के रूप में पहचाना गया है (अभिषेक और सहयोगी, 2025)।

6. बाल अपराध के समाजशास्त्रीय कारण

6.1 सामाजिकरण की प्रक्रिया में कमजोरी

समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसका व्यवहार सामाजिकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। परिवार, विद्यालय, मित्र समूह और समुदाय सामाजिक मूल्यों को सीखने के प्रमुख माध्यम हैं। जब इन संस्थाओं में सामाजिक नियंत्रण और सकारात्मक मार्गदर्शन कमजोर होता है, तो विचलित व्यवहार के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

6.2 परिवार का विघटन और उपेक्षा

परिवार बालक को भावनात्मक सुरक्षा, अनुशासन और सामाजिक पहचान प्रदान करता है। परिवार में लगातार कलह, घरेलू हिंसा, उपेक्षा अथवा अभिभावकीय निगरानी का अभाव बालक के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक कारकों पर आधारित साहित्य में पारिवारिक वातावरण को बाल अपराध के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भों में माना गया है (अभिषेक और बालामुरुगन, 2024)।

6.3 आर्थिक असमानता और वंचना

आर्थिक स्थिति बाल अपराध का अकेला कारण नहीं है, लेकिन आर्थिक वंचना सामाजिक अवसरों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षित आवास, शिक्षा की सीमित उपलब्धता और सामाजिक संसाधनों की कमी बालक को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के संपर्क में ला सकती है। भारत के व्यापक आर्थिक संदर्भ पर किए गए अध्ययन में आर्थिक चर और किशोर अपराध के बीच संबंध का परीक्षण किया गया है (अहसान और सहयोगी, 2021)।

6.4 सहकर्मी समूह

किशोरावस्था में व्यक्ति अपने साथियों से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसलिए यदि समूह में नियम-विरोधी व्यवहार को स्वीकार्यता मिलती है, तो बालक उस व्यवहार को अपनाने की ओर बढ़ सकता है। साहित्य में सहकर्मी समूह को बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक कारक माना गया है (अभिषेक और बालामुरुगन, 2024)।

6.5 सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी

सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत की दृष्टि से व्यक्ति समाज से जुड़े संबंधों के माध्यम से सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। परिवार, विद्यालय और समुदाय से संबंध कमजोर होने पर सामाजिक नियंत्रण भी कमजोर हो सकता है। अतः बाल अपराध के निवारण में केवल अपराधी व्यवहार को रोकना पर्याप्त नहीं है; बालक के सकारात्मक सामाजिक संबंधों को मजबूत करना भी आवश्यक है।

7. बाल अपराध की व्याख्या के प्रमुख समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

बाल अपराध को समझने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उपयोगी हैं।

सामाजिक अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके व्यवहार सीख सकता है। बालक यदि अपने आसपास अपराध या आक्रामक व्यवहार को बार-बार देखता है और उसे सामाजिक स्वीकृति या लाभ मिलता हुआ पाता है, तो उसके अनुकरण की संभावना हो सकती है।

सामाजिक नियंत्रण दृष्टिकोण के अनुसार समाज के साथ मजबूत संबंध व्यक्ति को नियमों का पालन करने में सहायता करते हैं। परिवार, विद्यालय और समुदाय से सकारात्मक जुड़ाव बाल अपराध की रोकथाम में सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

विभेदी सहचर्य दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी व्यवहार सामाजिक संपर्कों के माध्यम से सीखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सहकर्मी समूह का महत्व समझा जा सकता है।

तनाव या वंचना दृष्टिकोण सामाजिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के वैध साधनों के बीच अंतर को महत्व देता है। आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थितियों में कुछ बालक वैकल्पिक या अवैध रास्तों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

इन दृष्टिकोणों को एक-दूसरे के विरोधी मानने के बजाय पूरक रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि बाल अपराध बहुस्तरीय सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है।

8. बाल अपराध के निवारण के उपाय

8.1 परिवार को मजबूत करना

बाल अपराध की रोकथाम की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। माता-पिता को बच्चों के साथ संवाद, भावनात्मक सहयोग और सकारात्मक अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। केवल दंड देने के बजाय बच्चे के व्यवहार के पीछे मौजूद सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है।

8.2 विद्यालय आधारित रोकथाम

विद्यालयों में परामर्श सेवाएँ, जीवन-कौशल शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सहपाठी सहयोग कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले तथा पढ़ाई छोड़ने के जोखिम वाले बच्चों की समय रहते पहचान की जानी चाहिए।

8.3 सहकर्मी समूहों का सकारात्मक उपयोग

युवा क्लब, खेल समूह, सामुदायिक गतिविधियाँ और स्वयंसेवी कार्यक्रम बालकों को सकारात्मक सहकर्मी नेटवर्क प्रदान कर सकते हैं। यदि बालक को सम्मान और पहचान के सकारात्मक अवसर मिलते हैं, तो विचलित समूहों पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है।

8.4 डिजिटल साक्षरता

डिजिटल वातावरण में बालकों के लिए केवल तकनीकी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। उन्हें डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता, जिम्मेदार संचार, गलत सूचना की पहचान तथा ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक परिणामों के बारे में भी शिक्षित करना आवश्यक है। अभिभावकों और शिक्षकों को भी डिजिटल माध्यमों की समझ विकसित करनी चाहिए।

8.5 सामुदायिक भागीदारी

बाल अपराध की रोकथाम में स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। समुदाय में खेल मैदान, पुस्तकालय, कौशल प्रशिक्षण, परामर्श केंद्र और बाल-अनुकूल गतिविधियों की उपलब्धता बालकों को सकारात्मक सामाजिक वातावरण प्रदान कर सकती है।

8.6 आर्थिक और शैक्षिक अवसर

गरीबी और सामाजिक वंचना से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और परिवार-आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए। बालक को शिक्षा और रोजगार की वैध संभावनाएँ उपलब्ध कराना दीर्घकालिक रोकथाम का महत्वपूर्ण साधन है।

8.7 पुनर्वास को प्राथमिकता

बाल अपराध के मामले में केवल दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण पर बल देना चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, जीवन-कौशल, परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अन्य पुनर्वासात्मक सेवाओं का प्रावधान है।

8.8 किशोर न्याय संस्थाओं को मजबूत करना

किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ, विशेष गृह, निरीक्षण गृह तथा सुरक्षा स्थल जैसी संस्थाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता महत्वपूर्ण है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बच्चों के लिए संरक्षण, रोकथाम, पुनर्वास तथा सामाजिक पुनःएकीकरण से संबंधित सेवाओं को मजबूत करने पर बल दिया गया है।

8.9 व्यक्तिगत देखभाल योजना

प्रत्येक बालक की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। इसलिए सभी बाल अपराधियों के लिए एक समान हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किशोर न्याय व्यवस्था में व्यक्तिगत देखभाल योजना के माध्यम से शिक्षा, भावनात्मक आवश्यकताओं, कौशल, मनोरंजन, सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सामाजिक मुख्यधारा में वापसी जैसी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की व्यवस्था है।

9. चर्चा

उपलब्ध साहित्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल अपराध एक बहुकारकीय सामाजिक घटना है। परिवार, सहकर्मी समूह, विद्यालय, आर्थिक स्थिति और व्यापक सामाजिक संरचना एक-दूसरे से अलग होकर काम नहीं करते। उदाहरण के लिए आर्थिक कठिनाई विद्यालय से दूरी उत्पन्न कर

सकती है; विद्यालय से दूरी बालक को अनौपचारिक समूहों के अधिक संपर्क में ला सकती है; और नकारात्मक सहकर्मी समूह विचलित व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार बाल अपराध को एक कारण से समझने के बजाय सामाजिक कारकों की परस्पर अंतःक्रिया के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है।

हालिया अध्ययन भी इसी बहुआयामी स्वरूप की ओर संकेत करता है। तमिलनाडु के 178 बाल अपराधियों पर किए गए अध्ययन में भावनात्मक विद्रोह, सहकर्मी प्रभाव, पारिवारिक विघटन, मीडिया प्रभाव, भौतिक आकांक्षा, शैक्षिक अलगाव और प्रवासन जैसे विभिन्न आयाम सामने आए (अभिषेक और सहयोगी, 2025)।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बाल अपराध की रोकथाम केवल पुलिस या न्यायालय का दायित्व नहीं हो सकती। परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएँ, स्थानीय समुदाय, बाल संरक्षण तंत्र और राज्य—सभी की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। भारतीय विधिक व्यवस्था का पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण पर जोर इसी व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है।

11. निष्कर्ष

बाल अपराध को केवल कानून तोड़ने वाले बालक की व्यक्तिगत समस्या के रूप में देखना समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपर्याप्त है। यह सामाजिकरण, पारिवारिक संबंधों, विद्यालयी अनुभवों, आर्थिक अवसरों, सहकर्मी समूहों, समुदाय तथा व्यापक सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई समस्या है। आधुनिक परिस्थितियों में बाल अपराध के स्वरूप में विविधता दिखाई दे रही है और पारंपरिक जोखिमों के साथ डिजिटल वातावरण, मीडिया प्रभाव, शैक्षिक अलगाव तथा प्रवासन जैसे नए संदर्भ भी अध्ययन का हिस्सा बन रहे हैं।

साहित्य समीक्षा यह दर्शाती है कि परिवार और सहकर्मी समूह बाल अपराध के महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ हैं। आर्थिक वंचना और शैक्षिक अलगाव भी जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए निवारण के लिए बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है। परिवार में संवाद और निगरानी, विद्यालय में परामर्श और समावेशी शिक्षा, समुदाय में सकारात्मक गतिविधियाँ, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक एवं शैक्षिक अवसर तथा किशोर न्याय प्रणाली में पुनर्वास—इन सभी को एक साथ मजबूत करने की आवश्यकता है।

भारतीय किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का पुनर्वास, देखभाल और सामाजिक पुनःएकीकरण पर आधारित दृष्टिकोण इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। बाल अपराध के प्रभावी निवारण का लक्ष्य केवल अपराध की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिए जिनमें प्रत्येक बालक को सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान, अवसर और सकारात्मक सामाजिक पहचान प्राप्त हो। इस दृष्टि से बाल अपराध का समाधान दंड से अधिक सामाजिक संरक्षण, सकारात्मक समाजीकरण, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण में निहित है।

संदर्भ-सूची

1. अभिषेक, आर., एवं बालामुरुगन, जे. (2024). *बाल अपराध के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारकों का प्रभाव : एक साहित्य समीक्षा*। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संवर्धन पत्रिका, 13, 102। PubMed Central (PMC)
2. अभिषेक, आर., बालामुरुगन, जे., जनार्दनन, बी., एवं वलन, एम. एल. (2025). *बाल अपराध के अंतर्निहित कारकों की खोज : भारत से एक अनुप्रस्थ अध्ययन*। अपराधशास्त्रीय अनुसंधान, नीति एवं व्यवहार पत्रिका, 11(4), 366–376। ScienceDirect+1
3. अभिषेक, आर., एवं बालामुरुगन, जे. (2024). *भारत में बाल अपराध के संदर्भ में उससे जुड़े कारक एवं प्रतिरूप*। सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रबंधन पत्रिका। RGSA Open Access Publications
4. अहसान, एम. एन. एवं सहयोगी। (2021). *बाल अपराध के निर्धारक : भारत से प्रमाण*। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक अर्थशास्त्र पत्रिका, 48(12), 1740–1767। ScienceDirect

5. देओल, जी. (1990). *भारत में किशोर अपराध*। सामाजिक परिवर्तन, 20(3), 59–70। Sage Journals
6. काकर, एस. (2015). *भारत में किशोर न्याय और किशोर अपराध*। किशोर अपराध एवं किशोर न्याय की पुस्तिका में अध्याय। Wiley Online Library
7. रथिनाबालन, आई., एवं नारायण, एस. ए. (2017). *किशोर अपराध पर पारिवारिक कारकों का प्रभाव*। समकालीन बाल चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय पत्रिका। Contemporary Pediatrics Journal
8. भारत सरकार। (2015). *किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015*। विधि एवं न्याय संबंधी आधिकारिक विधिक सामग्री। India Code+1
9. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2016). *किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016*। CARA
10. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। *मिशन वात्सल्य : बाल संरक्षण एवं पुनर्वास संबंधी योजना*। Ministry of Women and Child Development+1

Cite the Article:

शर्मा, वंदना, प्रो. विभा. (2026). बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियों की पहचान और उसके निवारण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, 4(1) 232-240, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 04, Issue 01, September-2026.,**DOI:** - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.27

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.